



Neutral Citation No. - 2026:AHC:50731-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

दांडिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 4525 वर्ष 2026

टीटू

..... याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

..... प्रत्यर्थागण

याची के अधिवक्ता : शुभम

प्रत्यर्थागण के अधिवक्ता : जी०ए०, पंकज शर्मा, संजय कुमार द्विवेदी

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याची के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिए विद्वान ए०जी०ए०, प्रत्यर्था संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार द्विवेदी को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. एकदम आरंभ में ही, याची के विद्वान अधिवक्ता ने बार में एक कथन किया है कि वह वर्तमान रिट याचिका पर आगे बल नहीं देना चाहते हैं और इसे वापस लेने की मांग करते हैं।
3. विद्वान ए०जी०ए० के साथ-साथ प्रत्यर्था संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है।
4. उपर्युक्त के दृष्टिगत, यह रिट याचिका वापस ली गई मानते हुए खारिज की जाती है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मार्च 12, 2026

ज़फ़र

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।